(5) वैश्वीकरण का प्रभाव :-
वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पाठ्यक्रम संरचना की एक प्रमुख समस्या है। वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक देश के पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर्शन एवं उद्देश्यों का ज्ञान दिया जाता है। अतः भारत के पाठ्यक्रम निर्माता भी विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम निर्माण करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। संसाधन एवं विस्तृत सोच के अभाव के कारण पाठ्यक्रम का स्वरूप विश्व स्तर पर श्रेष्ठ गणना में नहीं आ पाता है।

(6) राजनैतिक समस्याएँ :- राजनैतिक समस्याएँ पाठ्यक्रम निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण सरकारों के परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। सरकार में पदासीन व्यक्तियों की मनोदशा का पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी कुछ समय पूर्व पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा के अध्याय का समावेश किया गया है, जिसका अन्य संगठनों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इसके परिणामस्वरूप यह अध्याय पाठ्यक्रम से पृथक करना पड़ा। अतः इस प्रकार से पाठ्यक्रम का परिमार्जित एवं पारदर्शी स्वरूप विकसित नहीं हो पाता।

(7) क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या :-
यदि पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित रूप में नहीं होता है तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव नहीं होती है। पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सुझावों के क्रियान्वयन की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। पाठ्यक्रम में विषयवस्तु एवं प्रकरणों को स्थान प्रदान करने में एक समिति को निर्णय लेना पड़ता है। इस निर्णय की प्रक्रिया में विचार एवं सोच की विविधता के कारण अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन् 2005 के समक्ष अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना संबंधी समस्याओं का समाधान

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का क्रम सन् 1988 से अनवरत रूप से प्रारंभ है जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन् 2000 तथा राष्ट्रीय संरचना सन् 2005 प्रस्तुत किये जा चुके हैं। पाठ्यक्रम संरचना संबंधी समस्याओं को निम्न-लिखित रूप में समाप्त किया जा सकता है :-

(1) शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हुए कर्तव्य पालन के दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए।

(2) समाज के व्यक्तियों में कार्य के प्रति निष्ठा की भावना जाग्रत की जानी चाहिए। किसी भी पद एवं गौरव की इच्छा को सामान्य रूप में प्रदर्शित करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए।

(3) भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक सूत्रीय व्यवस्था को निरूपित करना चाहिए जिसमें किसी को भी आपत्ति न हो।

(4) भारतीय समाज में विकसित दृष्टिकोण का समावेश करते हुए आधुनिक विचार-धाराओं के प्रति समारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए।

(5) पाठ्यक्रम निर्माताओं को उपलब्ध संसाधनों में ही श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति में अनुभवी व योग्य व्यक्तियों के स्थान प्रदान करना चाहिए।

(6) शिक्षा को राजनैतिक दोषों से दूर रखने के लिए राजनीतिज्ञों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वे शिक्षा के विकास पर ही ध्यान दें।

(7) धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव कल्याण एवं मानव विकास की भावना का समावेश जनसामान्य में करना चाहिए।

(8) सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र एवं समाज का उत्थान होता है।

उपयुक्त सुझावों के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना को नवीन आधार प्राप्त होगा तथा पाठ्यक्रम निर्माण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। पाठ्यक्रम निर्माण स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह कार्य बाधारहित एवं स्वस्थ वातावरण में सम्पन्न करना चाहिए।

भाषा शिक्षा (Language Education)

भारत की आधिक विविधता कक्षा में भाषा के शिक्षण के संदर्भ में और अधिक जटिल

चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है वही यह अवसर भी प्रदान करती है कि बालक विभिन्न भाषाओं को सीखकर निश्चित संज्ञानात्मक लाभ प्राप्त करे। इसलिए इन दस्तावेजों के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया है कि आज त्रिभाषा - फॉर्मूला को फिर से लागू किया जाए जिससे बच्चों की मातृभाषाओं को शिक्षा के रूप में स्वीकृति देने पर जोर है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के पास अपनी स्वयं की भाषिक क्षमताएँ होती हैं और यह क्षमताएँ वे परिवार तथा आसपास के लोगों से अंतः क्रिया का अनुभव भी प्राप्त करते रहते हैं।

जब तक व्यक्ति स्कूल को लेकर कक्षा में आते हैं और उनमें कई मामलों में अन्य भाषाओं में बातचीत करने की क्षमता विकसित होती है। आपस में बच्चे न केवल सही समझना या बोलना सीखते हैं बल्कि वह अपनी भाषाओं का उचित प्रयोग भी करते हैं। इन कौशलों को धीरे-धीरे उच्चस्तरीय संप्रेषणात्मक एवं संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास द्वारा बढ़ावा देना है। प्रथम भाषा के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए।